

संख्या: 93A/USDMA/792(2020)

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए.

देहरादून, दिनांक : 13 मई, 2021

विषय: कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण हेतु 'COVID - Curfew' के दौरान PDS-Ration के सस्ते गल्ले की दुकानों के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

COVID - Curfew से सम्बन्धित पूर्व में राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश संख्या : 84/USDMA/792(2020) दिनांक 09.05.2021 के बिन्दु संख्या - "15 D(i)" जो PDS-Ration के सस्ते गल्ले की दुकानों के संचालन से संबंधित है, उक्त आदेश में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

1. COVID - Curfew के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न वितरण को सरल बनाने के लिए राज्य के समस्त PDS-Ration के सस्ते गल्ले की दुकानें दिनांक 14 May 2021 से 18 May 2021 तक प्रातः 07:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक खुली रहेंगी।
उक्त व्यवस्था अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगी।

भवदीय,



(ओम प्रकाश)

मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा. मंत्री, आपदा प्रबंधन।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
5. महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद), विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
8. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित पत्रावली।

आज्ञा से,


(एस0 ए0 मुरुगेशन)

सचिव